

78

न्यायालय श्री मान राजस्व मण्डल खालिख खन्डपीठ रीवा जिलारिवा म.प्र.

निगरानी प्रकरण R 100/2015



R 201

02/02-15

- 1. रामबदन दुवेदी तनय स्व० रोहणी प्रसाद द्विवेदी उम्र 70 साल, पेशा डेक्की,
- 2. राजमणि द्विवेदी तनय स्व० ददईराम द्विवेदी, उम्र 72 साल, पेशा डेक्की
- 3. दिरगलिया पुत्री स्व० ददईराम द्विवेदी उम्र 65 साल, पेशा का कार्य,

श्री. निगरानी प्रकरण R 100/2015 की प्रती निवासी ग्राम कोनी तहसील जम्बा जिला रीवा म.प्र. द्वारा आज दिनांक 2-1-15 को परसूत किया गया।

निगरानी कर्ता गण

बनाम श्री. रमिंदर सिंह रिवीर द्विवेदी तनय स्व० शिख प्रसाद द्विवेदी उम्र 45 साल, पेशा डेक्की, निवासी ग्राम कोनी तहसील जम्बा जिला रीवा म.प्र.

निवासी ग्राम कोनी तहसील जम्बा जिला रीवा म.प्र.

2- ग्रासन म.प्र. गैरनिगरानी कर्ता गण

4293
निगरानी प्रकरण R 100/2015 की प्रती निवासी ग्राम कोनी तहसील जम्बा जिला रीवा म.प्र. द्वारा आज दिनांक 2-1-15 को परसूत किया गया।

निगरानी विरुद्ध आ० क्र० 1358 रक्बा 5.447 हे०

स्थित ग्राम कोनी प० ह० कोनी राजस्व निरीक्षण

मण्डल अरौला तहसील जम्बा, जिला रीवा म.प्र.

स्थित आराजी के राजस्व निरीक्षण अरौला द्वारा की गई नक्का तमाम की कार्यवाही को निरस्त किया जाकर पूर्ववत् नक्का बहाल किए जाने हेतु।


आवेदन अन्तर्गत द्वारा 50 म.प्र. भू.रा. सं. 1959 ई०

मान्यवर,

निगरानी आवेदन के आधार निम्नलिखित है :-

- 1. यह कि आ० क्र० 1358 रक्बा 5.447 हे० स्थित ग्राम कोनी प० ह० कोनी राजस्व निरीक्षण अरौला तहसील जम्बा जिला रीवा म.प्र. निगरानी कर्ता गण एवं गैर निगरानी कर्ता क्र० 1 के संयुक्त स्वामित्व अधिपत्य की आराजी है। इसके जलावा आराजी क्र० 1246 रक्बा 0.672 हे० 1357 रक्बा 0.146 हे०, 1359 रक्बा 0.930 हे० 1372 रक्बा 0.938 हे० कुल 5 क्क्ता भूमियां कुल रक्बा 8.133 हे० निगरानी कर्ता गण एवं गैरनिगरानी

रामचंद्र द्विवेदी



रमिंदर सिंह रिवीर द्विवेदी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.100-III/15

जिला-रीवा

रामबदन द्विवेदी वगैरः/हरिशंकर द्विवेदी

(1)	(2)	(3)
19.07.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. अनावेदक की ओर से श्री अरविन्द पाण्डेय एड० उपस्थित। उनके द्वारा वाकालतनामा तथा प्रकरण में उपस्थित होने वावत् प्रकरण पेश किया।4. चूंकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।5. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात् प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।	<p>सदस्य</p>

M